संख्या-138/2015/873/नौ-5-15-13बजट/2009

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 जल निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 2015

विषयः-वित्तीय वर्ष 2014-15 में नगरीय जल निकासी योजना के अन्तर्गत नगर पंचायत, बड़हलगंज की स्टार्म वाटर ड्रेनेज परियोजना की पुनरीक्षित लागत की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति तथा उसके सापेक्ष बढ़ी हुई धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता(नागर), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-36/नागर-2/033-0304/15, दिनांक 02.02.2015 तथा शासनादेश संख्या-3040/नौ-5-2011-13बजट/2009, दिनांक 03 अगस्त, 2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरीय जल निकसी योजना के अन्तर्गत **नगर पंचायत, बड़हलगंज की स्टार्म वाटर ड्रेनेज परियोजना** की व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 20.03.2015 में अनुमोदित पुनरीक्षित लागत **₹ 676.43 लाख (₹ छः करोड़ छिहत्तर लाख तैतालिस हजार मात्र)** पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-37 के राज्य सेक्टर के नगरीय जल निकासी योजना से परियोजना की बढ़ी हुई धनराशि **₹ 241.57 लाख (₹ दो करोड़ इक्तालिस लाख सत्तवान हजार मात्र)** अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0	कार्य का नाम	शासनादेश संख्या-3040/नौ-5-2011-13बजट/09 दिनांक 03.08.2011 द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	पूर्व निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष कुल अवमुक्त धनराशि	व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 20.03.2015 में अनुमोदित लागत के सापेक्ष पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	कुल बढ़ी हुई लागत	बढ़ी हुई लागत के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	**नगर पंचायत, बड़हलगंज की स्टार्म वाटर ड्रेनेज परियोजना**	434.86	434.86	676.43	241.57	241.57

(₹ दो करोड़ इक्तालिस लाख सत्तवान हजार मात्र)

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम तथा सचिव/संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर व्यय की जायेगी।

(2) कार्यदायी संस्था/नगर पंचायत, बड़हलगंज द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापतियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) प्रायोजना का निर्माण कार्य• प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

(4) प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टयों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन, नये कार्य बढ़ाना एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(5) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृति (डुप्लीकेसी) को राकेने की दृष्टि से प्रायोजना पर कार्य से पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(6) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का कोई भी अंश किसी बैंक/पोस्ट आफिस/डिपाजिट खाता/पी.एल.ए. में नहीं रखा जायेगा।

(8) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(9) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(10) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रायोजना का निर्माण कार्य समसय में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्पले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी सस्था कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा। कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(13) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को नियमानुसार संबधित कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

2- वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलें की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत ***लेखाशीर्षक "2215-जलापूर्ति तथा सफाई-02-मलजल तथा सफाई-193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-04-उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0402-नगरीय जल निकासी कार्य-35-पूंजीगत परिसम्पित्तयों के सृजन हेतु अनुदान"*** के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या-ई-8-1219/दस-15, दिनांक 31 मार्च, 2015 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-138/2015/873 (1)/नौ-5-15-13बजट/2009, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- मण्डलायुक्त, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश ।
3- जिलाधिकारी, गोरखपुर।
4- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
5- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7- अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, बड़हलगंज, उत्तर प्रदेश।
8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
9- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
11- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।